RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गो का विकास एवं गठित आयोग : एक समीक्षात्मक लेख

विनीता

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग NIILM विश्वविद्यालय, कैथल (हीरयाणा)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 13 March2019

Keywords
सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग, मण्डल आयोग, पिछडा वर्ग, आरक्षण, जातियाँ, वर्ग.

ABSTRACT

इस शोध–पत्र में 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो के विकास एवं गठित आयोगों को (ओबीसी) रूप में वर्णित किया गया है 'अन्य पिछडा वर्ग' अथवा 'अदर बैकवर्ड कलासेज' अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है, जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछडे समुदायों की गणना की जाति है। भारतीय संविधान जैसा कि प्रस्तावना से स्पष्ट है, एक सुप्रभु, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित करता है। यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक वर्ग की सत्ता में भागीदारी हो। संविधान सभा में इस बात पर विचार–विमर्श हुआ कि समाज के कमजोर, पिछडे वर्गो को सामान्यजनों के लगभग समक्ष लाकर दी एक समतावादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सविधान में अनेक प्रावधान किये गये तथा इस शब्द को परिभाषित किया गया कि किन जातियों को इस वर्ग में शामिल किया जाये। इन वर्गो को अन्य व्यक्तियों के समक्ष लाने के लिए कई आयोग गठित किये गये जिनमें काका कालेकर आयोग 1953, मण्डल आयोग 1978 तथा राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग 1993 गठित किये गये। जिन्होंने अपनी अलग–अलग सिफारिशें दी। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक निम्न जातियों की दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रावधान किये गये परंतु इनकी दशा में अधिक सुधार नहीं हुआ है और ये आज भी प्रायः गरीबी तथा शोषण का शिकार है।

भूमिका :– 1990 के दशक के काल को भारतीय राजनीति में अन्य पिछडे वर्गो, के उद्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज जातियों में विभाजित रहा है तथा उसमें उच्च और निम्न जातियाँ मौजूद रही है। आरंभ में जाति व्यवस्था काम पर आधारित थी परंतु बाद में इसका आधार जन्म बन गया। उसी समय से ही उच्च जातियों ने निम्न जातियों का शोषण करना शुरू कर दिया। इन जातियों की दशा में सुधार करने के लिए तथा इनके जीवन स्तर को अन्य जातियों के समक्ष लाने के लिए अनेक भारतीय महापुरूषों जैसे कबीर, स्वामी दयान्द, राजा राममोहन राय आदि ने नित्न जातियों की दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न जातियो की दशा को सुधारने के लिए प्रावधान किये गये है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे आयोग की स्थापना कर सकता है जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो की हालात के बारे में जाँच पड़ताल कर सके। इस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 1953 में काका साहब कालेलकर आयोग, 1978 में मण्डल आयोग तथा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की । भारतीय संविधान में अन्य पिछडे वर्गो के लिए नौकरीयों में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

शोध प्रविधि :–

इस शोध पत्र के लिए शोध सामग्री से ग्रहण की गई है। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ शोधकर्त्री ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

पिछडे वर्गो का अभिप्राय :–

पिछड़े वर्गो में दो प्रकार की जातियों को सम्मिलित किया जाता है – (क) अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा (ख) अन्य पिछड़े वर्ग जो वर्ग विकास की दौड़ में पीछे हैं परंतु जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जा सकता इन्हें ही अन्य पिछड़े वर्ग (ओबिसी) कहा जाता है। संविधान में ओबीसी "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो" के रूप में वर्णित किया जाता है। संविधान में कई जगह इनके लिए 'कमजोर वर्ग' शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान निर्माता अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त भी कुछ वर्गो को पिछड़े वर्गो में रखना चाहते थे। मगर संविधान में इन वर्गो को स्पष्ट नहीं किया गया कि ये वर्ग कौन से होंगे।

अन्य पिछडे वर्गो को न तो अनुसूचित जाति में ही रखा जाता है और न ही अनुसूचित जनजाति में इनको अलग से कमजोर

RRIJM 2015, All Rights Reserved

वर्ग कहकर पुकारा जाता है। पिछड़े वर्ग से अभिप्राय उस वर्ग से है जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में स्थित है। जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए है। सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गो को पिछडे वर्ग की श्रेणी में रखा है।

पिछड़ापन निर्धारित करने वाले मापदण्ड :–

मण्डल आयोग ने सामाजिक और आर्थिक पिछडेपन के संबंध में जाति को पिछडेपन का आधार माना और इस संबंध में ग्यारह मापदण्ड निर्धारत किये, जिनको उन्होने तीन भागों में विभाजित किया – (1) सामाजिक मापदण्ड (2) शैक्षणिक मापदण्ड तथा (3) आर्थिक मापदण्ड।

1. पिछडापन निर्धारित करने के लिए सामाजिक मापदण्डः–

- ऐसी जातियाँ या वर्ग जिनको सामाजिक रूप में अन्य जातियों या वर्गो के द्वारा पिछड़ा हुआ माना जाता है।
- ऐसी जातियाँ या वर्ग जो प्रमुख रूप में शारीरिक श्रम पर निर्भर है।
- ऐसी जातियाँ और वर्ग जिनमें राज्य की औसत से 25 प्रतिशत से अधिक महिलाएं और 10 प्रतिशत से अधिक पुरूष ग्रामीण क्षेत्र में से और कम–से–कम 10 प्रतिशत से अधिक महिलाएं और 5 प्रतिशत से अधिक पुरूष शहरी क्षेत्र में से 17 वर्ष की आयु से पूर्व ही विवाहित पाये जाते है।
- ऐसी जातियाँ और वर्ग जिनके कार्यो में महिलाओं की भागीदारिता राज्य के अनुपात से कम–से–कम 25 प्रतिशत से अधिक हों।

2. पिछड़ान निर्धारित करने वाले शैक्षणिक मापदण्ड :–

- ऐसी जातियाँ या वर्ग जहाँ 5 से 15 वर्ष की आयु के वर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या राज्य के अनुपात से कम–से–कम 25 प्रतिशत अधिक हो।
- ऐसी जातियाँ और वर्ग जिनमें स्कूल छोड देने वाले बच्चों की संख्या राज्य के अनुपात से कम–से–कम 25 प्रतिशत से अधिक हो।
- ऐसी जातियाँ या वर्ग जिनमें 10 वीं पास लोगों की संख्या राज्य की औसत संख्या से कम–से–कम 25 प्रतिशत कम हो।

3. पिछडापन निर्धारित करने वाले आर्थिक मापदण्ड :–

- ऐसी जातियाँ और वर्ग जिनकी पारिवारिक संपति का मूल्य राज्य की संपति से कम से कम 25 प्रतिशत से कम हो ।
- ऐसी जातियाँ या वर्ग जिनमें कच्चे मकानो में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य की अनुपात से 25 प्रतिशत अधिक हो।
- ऐसी जातियाँ या वर्ग जिनके 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों के लिए पीने वाले पानी की सुविधा आधे किलोमीटर से दूर हो ।
- ऐसी जातियाँ या वर्ग जिनमें उपभोग करने वाले परिवारों की संख्या राज्य की अनुपात से कम–से–कम 25 प्रतिशत से अधिक हो ।

पिछड़े वर्ग की विशेषतायें :–

पिछड़े वर्गो की सामान्यता निम्नलिखित विशेषतायें पाई जाती है :–

- पिछड़ा वर्ग उच्च जाति और निम्न जाति के बीच का समूह है।
- पिछड़ा वर्ग प्रायः छोटी नौकरियों या लघु भूस्वामी है।
- मात्रात्मक या संख्यात्मक दृष्टि से इस वर्ग में बहुत सी जातियाँ पाई जाति हैं।
- पिछड़े वर्ग की सदस्यता भी अन्य जातियों की तरह जन्म पर आधारित है।
- भारतीय संविधान में पिछडेपन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक माना गया है।
- पिछडी जातियों को सरकार द्वारा सुविधायें प्राप्त है यही वजय है कि अन्य जातियाँ भी पिछडे वर्ग में शामिल होने की माँग करती है। पिछडे वर्गो को अन्य वर्गो के बराबर लाने के लिए नौकरीयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया गया है।

संवैधानिक प्रावधान :–

संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि किन जातियों को या वर्गो का पिछडा वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा । यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वे किन वर्गो या जातियों को इनमें शामिल करें ।

- अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह इन वर्गो के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान आरक्षित कर सकता है।
- अनुच्छेद 340 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गे की दशाओं तथा उनको कठिनाइयों के अनुसंधान के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है।

पिछडा वर्ग आयोग :–

भारतीय सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक दष्टि से पिछडे वर्गो की पहचान के लिए

RRIJM 2015, All Rights Reserved

एक ऐसे मानक का निर्धारण करना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे वर्गो को सुविधा देकर उनकी हीनभावना और पिछडेपन को दूर किया जा सके। इस पृष्ठभुमि में अनुच्छेद 340 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने 'काका कालेलकर' की अध्यक्षता में प्रथम 'पिछडा वर्ग आयोग' की नियुक्ति की ।

काका कालेलकर आयोग :–

काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति 20 जनवरी 1953 में की गई इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में राष्ट्रपति को पेश की । इस आयोग ने पिछडे वर्गो की पहचान के लिए जाति को मूल आधार बनाया और लगभग 2399 ऐसे संप्रदायो की सूची तैयार की जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे हुए थे और इसके साथ ही यह सिफारिश भी की, कि सभी महिलाओ को पिछडी जाति (वर्ग) माना जाए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि पहली श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत दूसरी श्रेणी को नौकरियों में सें 33 प्रतिशत और तीसरी श्रेणी तथा चौथी श्रेणी की नौकरियों में 40 प्रतिशत इन पिछडी हुई जातियों के लोगों के लिए आरक्षित रखी जायें। इसके साथ ही यह भी सिफारिश की गई कि तकनीकी और व्यवसाय मुखी शिक्षा सस्थाओं में 70 प्रतिशत सीट पिछडी हुई जातियों के लिए आरक्षित कि जायें। परंतु आयोग के सभी सदस्यों ने इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार न किया । 7 में से 3 सदस्यों ने इस सिद्धांत को मानने से इंकार कर दिया कि जाति के आधार पर ही पिछडापन निर्धारित किया जा सकता है। सरकार ने भी यह महसूस किया कि आयोग ने बहुत–अधिक जातियों को इस वर्ग में शामिल कर लिया। इस संबंध में विचारों का मतभेद इतना अधिक उलझ हो गया । तमिलनाडु ने 50प्रतिशत कर्नाटक ने 40 प्रतिशत, केरल ने 30 प्रतिशत और पंजाब में केवल 5 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रथम पिछडा वर्ग आयोग द्वारा पिछडें वर्गो की पहचान के लिए जो मानक प्रस्तुत किया गया, वह व्यवहारिक सिद्व नहीं हुआ, जिन उदेश्यों की पूर्ति के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, उसकी पूर्ति करने में असफल रहा।

मण्डल आयोग :–

सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में सत्तरूढ हुई । दूसरी पिछडी हुई जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में विद्यमान विरोधों को दूर करने के लिए जनता दल की सरकार ने 20 सितम्बर, 1978 को वी॰ पी॰ मण्डल की अध्यक्षता में एक पिछडी जाति आयोग का गठन किया। इस आयोग में एक प्रधान और 5 अन्य सदस्य नियुक्त किये गए। अन्य सदस्य थें एल.आर. नायक, दिवान मोहन लाल, न्यायमूर्ति आर. एस. भोला तथा के. सुब्रमण्यम्। आयोग के सभी सदस्य अध्यक्ष सहित पिछडी जातियों के थे।

इस आयोग को यह दायित्व सोंपा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों की पहचान करके उनकी भलाई और विकास के लिए उपयुक्त प्रयासो का निर्धारण करे ।

मण्डल आयोग की सिफारिशें :–

आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 1980 को भारत सरकार को सौंपी, जिसे सरकार ने 30 अप्रैल 1982 को संसद में प्रस्तुत किया आयोग ने पिछडी जातियों को परिभाषित किया तथा उनकी पहचान के लिए मानदण्ड प्रस्तुत करते हुए 3743 जातियों को पिछड़ी जाति घोषित किया । आयोग की सिफारिशें निम्न थीः–

- पिछडी हुई जातियों की संख्या 52 प्रतिशत है और इनको इसी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए परंतु संविधान में पहले से ही प्रावधान है कि आरक्षण किसी भी अवस्था में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मण्डल आयोग ने मुख्य रूप से यह सिफारिश की कि पिछडी हुई जातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं के दाखिले में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इस आयोग ने अपनी इस सिफारिस के पीछे यह तर्क दिया कि 22.5 प्रतिशत जनसंख्या वाली अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 23 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है तो अन्य दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए जिनकी जनसख्या 52 प्रतिशत के लगभग है, 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जानी उचित ही है।
- सरकारी नौकरियों में पहलें से कार्यरत् पिछडे वर्ग के लोगों को पदोन्नति में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये।
- यदि 27 प्रतिशत आरक्षित सीटें न भर पाये तो इन्हें तीन वर्षो तक कायम रखा जाये।
- आयु सीमा में पिछडे वर्ग के अभ्यार्थियों के बराबर छूट दी जाये।
- 27 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकार, राज्य सरकार के अधिन सार्वजनिक क्षेत्रों, केन्द्र सरकार के अधिन सार्वनिक क्षेत्रों, केन्द्र साकार के अधीन सरकारी क्षेत्रों तथा बैंको की नियुक्ति में लागू हों।
- निजी क्षेत्र के उन उद्योगों में भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, जिन्हें राज्य सरकार से अनुदान मिलता है।
- पिछड़े वर्गो के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण होना चाहिए।

मण्डल आयोग रिपोर्ट पर कार्यवाही :–

RRIJM 2015, All Rights Reserved

1989 में स्थापित वी. पी. सिहं की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 मण्डल आयोग ने मुख्य रूप से यह घोषण की कि सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इनको लागू किया जायेगा। सरकार के इस निर्णय के कारण देशभर में कई स्थानों पर भारी विरोध और हिंसक घटनायें उभरकर आई । 207 विद्यार्थियों ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किये जाने पर आत्महत्याएं की अथवा ऐसा करने का प्रयास किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में भी इसको चुनौती दी गई। 1991 में चुनावों के पश्चात् पी॰वी॰ नरसिम्हा राव की सरकार अस्तित्व में आई कि उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जायेगा। परंतु सरकार की इस घोषणा को सर्वोच्य न्यायाल्य में 1992 में चुनौति दी गई। सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि "राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जो 27 प्रतिशत आरक्षण का आदेश लागू किया था वह वैघ तथा विश्वसनीय है परंतु आर्थिक आधार पर उच्च जातियों के लिए जो 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया वह वैध नहीं है।" इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्य न्यायालय ने कई सिद्धांत निर्धारित किये।

- पिछड़ी हुई जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा परंतु इन जातियों के संपन्न व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय ठीक नहीं था इसको रद माना जायेगा।

पिछडें वर्गो के लिए आरक्षण लागू :–

केन्द्र सरकार द्वारा 8 सितम्बर 1993 को आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। सरकार ने यह निर्धारित किया कि पहले चरण में उन जातियों को आरक्षण मिलेगा जिनके नाम मण्डल आयोग की सूची और राज्य सरकार की सूची दोनों में है। ऐसी जातियों की संख्या 1200 हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षण की व्यवस्था लागू किये जाने के उपरांत राज्यों द्वारा भी इसे लागू कर दिया गया कुछ राज्यों में आरक्षण पहले से ही था।

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग :–

भारत सरकार द्वारा पिछडे वर्गो की पहचान और निर्मित कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने हेतू सन् 1993 में 'राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। ध्यातव्य है कि 'इंदिरा गांधी साहनी बनाम अन्य' के निर्णय में सर्वोच्य न्यायालय ने संघ, और राज्य सरकारों से एक ऐसे आयोग के गठन का कहा था, जो इस बात का परीक्षण कर सके कि किन जातियों को इससे बाहर कर देना चाहिए। प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जस्टिस आर॰ एन॰ प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया।

- इस आयोग में कुल 5 सदस्य होते है।
- आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसके पूर्व भी कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

आयोग के कार्य :–

1. किसी जाति या वर्ग विशेष के इस अनुरोध की जाँच करना कि उसे पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया जाये।
2. पिछडे वर्ग की कोई जाति या वर्ग अपेक्षाकृत विकसित हो गई है, तो इसे सूची से निकालने की राय सरकार को देना ।
3. पिछडे वर्ग से संबंधित किसी मसले पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

शक्तियाँ : आयोग की धारा 9(1) के अनुसार अपने में निहित दायित्वों का निर्वहन करते समय आयोग को निम्नांकित शक्तियाँ प्राप्त होगीं –

1. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को आहूत करना।
2. किसी दस्तावेज को अपने सामने प्रकट करवाना।
3. हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सरकारी दस्तावेज की माँग करना।
5. साक्ष्यों और दस्तावेजो का परीक्षण करना ।

सूचियों का केन्द्र सरकार द्वारा समय – समय पर परीक्षण कराया जाता है। केन्द्र द्वारा अन्य पिछडे वगों की सूची का हर 10 वर्ष पर पुनरीक्षण कराया जाता है। पुनरीक्षण के उपरांत कुछ जातियों को इस सूची से निकाला जा सकता है तथा कुछ को जोडा जा सकता है।

संपन्न वर्ग :– इंदिरा साहनी के बाद में 16 नवम्बर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछडे वर्गो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण तो स्वीकार किया परंतु इस शर्त पर कि इन वर्गो के संपन्न वर्ग या 'क्रीमी लेयर' का अभिप्राय पिछडे वर्ग के ऐसे सदस्यों से है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में आ चुके हैं। इसके अंतर्गत पिछडे वर्गो के वे सभी लोग सम्मिलित हैं जिनका व्यापक विकास हुआ है। 'क्रीमी लेयर' में किसी व्यक्ति वर्ग को सम्मिलित करने का आधार आय के स्त्रोत्, निश्चित स्थिति तथा सामाजिक विस्तार की स्थिति को माना गया है।

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला 123 वॉ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। सरकार की तरफ से बिल में कुछ संसोधन किए गए हैं।

1993 में गठित 'पिछडा वर्ग आयोग' अभी तक सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछडी जातियों को पिछडे वर्गो की सूची में शामिल करने या पहले से शामिल जातियों को सूची

RRIJM 2015, All Rights Reserved

से बाहर करने का काम करता था। इस विधेयक के पारित होने के बाद संवैधानिक दर्जा मिलने की वजह से संविधान में अनुच्छेद ऊपर (क) जोड़कर प्रस्तावित आयोग को सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार दिये जा सकेंगें। इससे आयोग को पिछडे वर्गो की शिकायतो को निवारण करने का अधिकार मिल जायेगा।

आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। इसमें कम से कम दो सदस्य होंगे। सदस्यों में एक महिला का होना अनिवार्य होगा। अधिकतम सदस्यों की संख्या का जिक्र अधिसूचना में नहीं किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पिछडी जातियों के व्यक्ति ही बन सकते है। इनका कार्यकाल तीन वर्षो का रखा गया है। एक सदस्य को केवल दो बार ही आयोग में नियुक्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की जगह राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 प्रभावी हो गया है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा शैक्षिक संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछडे वर्गो को 14 जनवरी 2019 से 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

संदर्भ सूची :–

1. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था – यू॰आर॰घई॰ तथा के॰के॰ घई।
2. भारत की राजव्यवस्था – एम॰ लक्ष्मीकांत
3. हमारा संविधान – सुभाष कश्यप
4. राजनीति शास्त्र – जी॰एन॰ रस्तोगी
5. भारतीय संविधान का परिचय – डी॰डी॰ बसु
6. राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम 1993
7. राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम 2018
8. भारत में पिछडे वर्गो का विकास एवं आयोग–बहादुर सिंह रावत 'चंचल'

RRIJM 2015, All Rights Reserved